## संपादकीय

# कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना चिंताजनक

यह पहली बार नहीं है कि देश की शीर्ष अदालत को कहना पड़ा कि कथित अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई न्याय के नैसर्गिक नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसी बलपूर्वक की गई कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बुलडोजर की नाइंसाफी नजर आई। कोर्ट का कहना था कि यह बुलडोजरी अन्याय केवल झुग्गियों व मकानों को ही नहीं गिरा रहा है, बल्कि यह कानून की उचित प्र या व अनुच्छेद 21 का भी अतिक्रमण है। जो हर नागरिक के जीवन और व्यक्ति गत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है। शीर्ष अदालत ने प्रयागराज में घरों को गिराए जाने को अमानवीय और अवैध बताते हुए शहरी विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पीड़ित घर के मालिक को दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अति मण विरोधी अभियान के दौरान घटी उस घटना को तंत्र की संवेदनहीनता बताया जिसमें बुलडोजर द्वारा झोपड़ी गिराए जाने पर एक बालिका अपनी किताबें पकड़कर भाग रही थी। अदालत का कहना था कि तसवीर देश की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली है। साथ ही अधिकारियों की मनमानी और असंवेदशीलता को उजागर करती है। कहा गया कि अतिक्रमणकारियों को खुद की स्थिति को स्पष्ट करने का उचित अवसर दिए बिना बुलडोजर से उनके मकान या झोपड़ियों को ध्वस्त करना अन्याय जैसा ही है। जिससे निष्कर्ष निकलता है कि प्रशासन का इरादा अनधिकृत निर्माण को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें सबक सिखाना लगता है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में शासन-प्रशासन कथित 'तत्काल न्याय' के बुलडोजर मॉडल को लागू करने में सबसे आगे रहा है। इस विवादास्पद कार्रवाई का बचाव करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कभी-कभी कुछ लोगों को उनकी समझ में आने वाली 'भाषा' में चीजों को समझाने की जरूरत होती है। जिसके मायने यह भी हैं कि ऐसे तत्वों को अदालतों द्वारा उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराये जाने का इंतजार किए बिना ही दंडित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते साल नवंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर के लगातार इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये कई दिशा-निर्देश दिए थे। इसमें मकान आदि के ध्वस्तीकरण से पंद्रह दिन पहले कब्जाधारियों को सचेत करना भी शामिल था। अदालत ने तो यहां तक चेतावनी दी थी कि निर्देशों का अतिक्रमण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं आया। इसमें दो राय नहीं कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के प्रति शून्य-सहिष्णुता का नजरिया जरूरी है। अवैध निर्माण हटाया जाना चाहिए।

**विनोद शर्मा, संपादक**

# मथुरा-काशी से जुड़ी नई मुहिम का आह्वान

**ललित गर्ग**

हिन्दू समाज पर रह-रह हो रहे हमले रूके, हिन्दू एवं सनातन संस्कृति को सलक्ष्य कुचलने के प्रयास विराम पाये-इन जटिल स्थितियों में भारत के लोगों को एक सांस्कृतिक छत्र के नीचे एकजुट करने की दृष्टि से होसबले ने जगाया है, चेताया है, संगठित होने का आह्वान किया है। निश्चित तौर पर इन दोनों मन्दिर मुद्दों को नए सिरे से हवा देने की इस कवायद ने संघ विरोधियों एवं मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों के सामने एक नई गंभीर चुनौती पेश की है। खासकर यह देखते हुए कि अयोध्या की रणनीतिक सफलता ने हिंदुत्व की राजनीति का आधार मजबूत किया है, हिन्दुओं को संगठित किया है। मंदिर-मस्जिद विवाद के बीच संघ की तरफ से पहले भी कई बयान आते रहे हैं। ये बयान दर्शाते हैं कि संघ भले ही सीधे-सीधे विवाद से खुद को भले ही अलग रखता हो, वैचारिक रूप से वह इनको पूरा समर्थन देता है। संघ का समर्थन देश को अराजक बनाने का कभी नहीं रहा, उसके सामने बड़ा लक्ष्य देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भी है। बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों में भारत-विरोधी शक्तियां नए सिरे से सक्रिय होने लगी हैं।

दत्तात्रेय होसबले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है। हिंदू समूहों का दावा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करके उनके ऊपर मस्जिदें बना दीं। इसीलिये विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने 1984 में तीन मंदिरों की बात की थी, जिनमें में अयोध्या में श्रीराम मन्दिर बन चुका है। इसके बाद कई लोगों को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके अन्य सहयोगी संगठन इससे संतुष्ट हो चुके हैं और काशी व मथुरा के विषय को जैसे उन्होंने त्याग दिया है या भूला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश किए जाने से कुछ ही घंटे पहले संघ के सरकार्यवाह एवं महामंत्री दत्तात्रेय होसबाले ने काशी ज्ञानवापी और मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े आंदोलनों-कार्यक्रमों में संघ के स्वयंसेवकों को न रोकने की बात कह कर एक नई मुहीम के आह्वान का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दे दिया है, जिसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ हैं। पिछले कुछ समय से इनको लेकर एक ऊहापोह की स्थिति थी, लेकिन संघ के इस मुद्दे पर छाये धुंधलको को हटाते हुए अपने नये बयान से ऊर्जा का संचार किया है। भले ही इससे राजनीति गर्माये, लेकिन हिन्दू आस्था को इससे खुशी मिली है। संघ की कन्नड़ साप्ताहिक पत्रिका विक्रमा को दिए इंटरव्यू में होसबाले ने साफ कर दिया कि उस समय यानी 1984 में विश्व हिंदू परिषद और साधु-संतों ने तीन मंदिरों की बात की थी। इसलिए अगर संघ के स्वयंसेवक इन मंदिरों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हम उनको रोकेंगे

नहीं। साफ है, इस बयान के बाद इन मथुरा-काशी दोनों स्थलों से जुड़े विवाद और इनके आंदोलनों को एक नई ऊर्जा, इन मन्दिरों के जीर्णोद्धार, स्वतंत्र अस्तित्व हासिल करने में सफलता मिलेगी। इससे एक बार फिर भाजपा की ताकत बढ़ेगी एवं हिन्दुओं को एकजुट करने का वातावरण बनेगा। बिहार में कुछ ही माह बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और साल 2027 की शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों ही प्रदेशों में जातिगत गणना और आरक्षण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। इन दोनों चुनावों में काशी और मथुरा बड़ा मुद्दा बने, तो कोई आश्चर्य नहीं है। दोनों मन्दिर बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के दो छोरों पर स्थित हिंदुओं के दो बड़े पवित्र एवं पावन धर्मस्थल हैं। मथुरा में श्रीकृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के रूप में और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के रूप में हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण आस्था-स्थल हैं, जहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं। दोनों मंदिर हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और करोड़ो भक्तों को आकर्षित करते हैं, दोनों मंदिर भारतीय संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा हैं और उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। काशी में विश्वनाथ और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर का पुनरुद्धार केवल भौतिक संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास नहीं है-यह भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सार को पुनर्जीवित करने एवं आहत हिन्दू आस्था पर मरहम लगाने का आह्वान है। सनातन धर्म की शाश्वत विरासत के प्रतीक ये मंदिर आक्रमणकारियों के सदियों के हमलों के बावजूद हिंदुओं की दृढ़ता और भक्ति के प्रमाण हैं। इन पवित्र स्थलों को पुनः प्राप्त करना हमारे पूर्वजों के बलिदान का सम्मान करने, हमारी विरासत को संरक्षित करने और हमारी समृद्ध परंपराओं को आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का कार्य है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मंदिरों के बारे में सच्चाई सबके सामने है, लेकिन ये मामले अनसुलझे हैं। ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के ये स्थल लंबी अदालती लड़ाई के बावजूद अभी भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दत्तात्रेय होसबले का यह साक्षात्कार महत्वपूर्ण होने के साथ दूरगामी सोच से जुड़ा है। हालांकि, होसबले ने अपने इसी इंटरव्यू में देश की सभी मस्जिदों को मुद्दा बनाने की प्रवृत्ति को सामाजिक ताने-बाने के लिए नुकसानदेह बताकर संतुलन साधने की कोशिश की है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना सही नहीं है। भले ही पिछले साल दिसंबर में मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवाद को शांत करने का उन्होंने यह प्रयास किया था। लेकिन काशी और मथुरा भी उसमें शामिल रहे हो, ऐसा कैसे सोचा जा सकता है? होसबले ने इस साक्षात्कार में गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी चिंताओं को स्वीकार किया। उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करने, युवाओं में संस्कृति के संरक्षण और देशी भाषाओं की सुरक्षा जैसे समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। भाषा नीति पर होसबाले ने त्रिभाषी दृष्टिकोण का समर्थन किया और इसे 95 प्रतिशत भाषाई विवादों का समाधान बताया। उन्होंने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनमें शिक्षित लोगों के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। होसबोले ने कहा कि लोगों को यह समझना चाहिए कि वैश्विक भूराजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। यदि भारत में हिंदू समाज मजबूत और संगठित नहीं है, तो केवल 'अखंड भारत' के बारे में बोलने से परिणाम नहीं मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत की खोज में लगे रहने से समाज अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा, जैसे अस्पृश्यता को समाप्त करना, युवाओं में मूल्यों का संचार करना तथा संस्कृति और भाषाओं को संरक्षित करना। निश्चित ही होसबले के बोल से जहां हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा को बल मिला है, वहीं राष्ट्रीयता भी मजबूत होती हुई दिख रही है। संघ की स्थापना भी इसी उद्देश्य एवं राष्ट्रवादी आंदोलन को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार देने के लिए की गई थी। हमारी सदियों पुरानी प्राचीन सभ्यताएं जो धर्म, अहिंसा और भक्ति के सिद्धांतों पर आधारित थी उपनिवेशवाद के शोर में अपनी आवाज खो न जाये।

# जज वर्मा मामले से जजों की नियुक्ति में केंद्र को मिला मौका

**योगेंद्र योगी**

स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक एक भी जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अर्थात किसी भी जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बाद गंभीर किस्म के आरोपों के बाद किसी भी जज को हटाया जाना आसान नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित तौर पर मिले लाखों रुपए के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादलों में केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया है। केंद्र सरकार ने संसद में कॉलेजियम व्यवस्था के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पारित किया था। इस कानून के एक विवादास्पद प्रावधानों में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में भारत के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम जजों और केन्द्रीय कानून मंत्री के अलावा दो जानी मानी हस्तियों को शामिल करने की व्यवस्था थी। वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून-एनजेएसी को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। जस्टिस वर्मा नोट प्रकरण के बाद न्यायिक नियुक्ति आयोग फिर से लागू करने की संभावना के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की उम्मीद फिर से पैदा हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में राजनीतिक दलों से कहा कि उन्हें जजों की तरफ से जजों की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक तंत्र के बारे में सोचना चाहिए। धनखड़ ने कानून को रद्द करने के शीर्ष अदालत के फैसले को गलत बताया। उन्होंने वर्ष 2014 में सर्वसम्मति से बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को दूरदर्शी कदम बताया। इसका उद्देश्य एससी और एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एकाधिकार को समाप्त करना था। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और टीएमसी के सुखेंदु शेखर रॉय सहित विपक्षी नेताओं ने सरकार से उन कदमों की रूपरेखा तैयार करने को कहा है जो वह उठाना चाहती है। जज कैशकांड के बाद सुप्रीम कोर्ट की फजीहत दो कारणों से हो रही है। न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द करने और जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट में करने से। आयोग को रद्द करने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ द्वारा राजनीतिक दलों की बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक आयोग को निरस्त करने के फैसले की तीखी भर्त्सना की गई। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाइकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध किया है। एसोसिएशन ने हड़ताल के अलावा जस्टिस वर्मा की कोर्ट के बहिष्कार की चेतावनी दी है। जस्टिस वर्मा प्रकरण के बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर फिर से उंगलियां उठने लगी हैं। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं होने और इनमें परिवारवाद को वरीयता दिए जाने को ÷अंकल जज सिंड्रोम÷ कहते हैं। जब जज बनाने के लिए अधिवक्ताओं के नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो किसी भी स्तर पर किसी से कोई राय नहीं ली जाती। ऐसे में जिन लोगों का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उनमें से कई पूर्व न्यायाधीशों के परिवार से होते हैं या उनके संबंधी होते हैं। भारतीय विधि आयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में उच्च न्यायालयों में %अंकल जजों% की नियुक्ति के मामले का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन जजों के परिजन किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, उन्हें उसी उच्च न्यायालय में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। विवादों में घिरे जस्टिस वर्मा का अकेला मामला नहीं है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष परेशानी खड़ी हुई है। पूर्व में हाईकोर्ट के जजों खिलाफ इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले दिनों विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बयानबाजी को लेकर चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूरी जानकारी मांगी वहीं, संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग ने जोर पकड़ा। जस्टिस वी. रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 1993 में लोकसभा में लाया गया था। लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि उसे जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं हो सका। जस्टिस रामास्वामी 1990 में पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश थे तब उन पर आधिकारिक तौर पर अलॉट किए गए घर पर कब्जा किए जाने का आरोप लगा था।

# कभी अन्नदाता तो कभी आमलोगों को रुलाता टमाटर

**डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**

जहां तक टमाटर के उत्पादन की बात है तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाला देश है। टमाटर के उत्पादन में भी चीन पहले पायदान पर है तो तुर्की, अमेरिका, मिस्र तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर है। यह कैसी विडंबना है कि टमाटर की खेती करने वाले काश्तकारों को आज टमाटर की लागत तो दूर तुड़वाई के पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की मण्डियों से आ रहे समाचार केवल मध्यप्रदेश के टमाटर उत्पादक किसानों की ही पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहे अपितु देश की अधिकांष मण्डियों में टमाटर के भाव औंधे मुंह गिर गए हैं। कुछ समय पहले ही गृहणियों की रसोई में टमाटर का तड़का मुश्किल हो गया था और टमाटर के खुदरा भाव 200 रु. प्रति किलो को छू गए थे आज वहीं टमाटर देश की किसी किसी मण्डी में तो एक रु. प्रति किलो से भी कम में बोला जा रहा है। ऐसे में किसान अपनी बदनसीबी के आंसू बहाते हुए सड़कों पर फेंकने, पशुओं को खिलाने या मण्डियों में बिखेरने को मजबूर हो रहे हैं। आज गली मौहल्ले में फेरी लगाकर बेचने वाले सब्जी विक्रेता ही 10 से 15 रु. किलों में टमाटर बेच रहे हैं। खुदरा में टमाटरों के भाव कम होने से आम नागरिकों को तो तात्कालीक फायदा हो रहा है पर उत्पादक किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहा है। यह केवल इस बार की ही समस्या नहीं है अपितु प्रतिवर्ष इस तरह के हालातों से किसानों को दो चार होना पड़ता है। देखा जाएं तो टमाटर ना कोई से दोस्ती और ना कोई से प्रेम वाली कहावत को चरितार्थ करता रहा है। साल में मौका मिलने पर पहले आमनागरिकों को रुलाता है तो फिर आमलोगों को थोड़ी राहत देते हुए उत्पादक काश्तकारों को रुलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। लगभग यही स्थिति प्याज की कई सालों से चली आ रही है। जहां तक

टमाटर के उत्पादन की बात है तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक टमाटर उत्पादन करने वाला देश है। टमाटर के उत्पादन में भी चीन पहले पायदान पर है तो तुर्की, अमेरिका, मिस्र तीसरे, चौथे और पांचवें पायदान पर है। कहने को तो यह कहा जाता है कि टमाटर का उद्गम देश दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी तटीय प्रदेश माना जाता है। मैक्सिको से टमाटर सारी दुनिया में पहुंचा है। टमाटर धीरे धीरे रसोई का प्रमुख उपयोगी बन गया। यह भी माना जाता है कि 16 वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं के साथ टमाटर ने हमारे देश में प्रवेश किया और आज यह घर घर की जरुरत बन गया। इसे विलायती भंटा या विलायती बैंगन भी कह कर पुकारा जाता रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर टमाटर देश की सबसे बड़ी मण्डी मानी जाती है तो आंध्र प्रदेश टमाटर का सर्वाधिक उत्पादक प्रदेश माना जाता है। वैसे टमाटर की पैदावार समूचे देश में होती है और टमाटर के सहउत्पाद खासतौर से टमाटर कैचअप, टमाटर सॉस, टमाटर सूप आदि से कंपनियां बारे न्यारे कर रही हैं। जहां तक टमाटर की गणित समझने का सवाल उठता है विशेषज्ञों का मानना है कि टमाटर की खेती में काश्तकार की एक से दो लाख रु. तक की लागत प्रति एकड आती है और यह भी माना जाता है कि सामान्य परिस्थितियों में 400 से 420 क्विंटल टमाटर की पैदावार काश्तकार प्रति एकड़ तक ले लेते है। अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बरसात और ओलावृष्टि से सबसे अधिक टमाटर की फसल प्रभावित होती है। कीट प्रकोप के कारण भी टमाटर की पैदावार पर सीध असर पड़ता है। सबसे अधिक चिंतनीय बात यह है कि जब टमाटर की फसल तैयार होकर बाजार में आती है तो टमाटर की भावों में तेजी से गिरावट आने लगती है। इसका व्यापारी दोहरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा टमाटरों की खरीद कर निजी कोल्ड स्टोरेज में जमा कर देते हैं और मौके बेमौके बाजार में कृतिम अभाव पैदा कर दोहरा लाभ कमा लेते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में टमाटर के सहउत्पाद तैयार करने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां बुवाई से पहले ही काश्तकारों से सौदा कर लाभ उठाती है। खैर यह विषयांतर होगा। टमाटर उत्पादक किसान तुड़वाई या मण्डी तक पहुंचाने की लागत भी नहीं मिलने से किसान परेशान है तो किसान इन हालातों को देखते हुए टमाटर के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने और सरकारी खरीद की दबी जुवान से बात करने लगे हैं। खैर यह तो अलग बात हुई पर कहीं ना कहीं सरकार को भी साल दर साल होने वाले ऐसे हालातों को देखते हुए किसानों और आमलोगों के हित का रोडमेप बनाना ही होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब सड़कों पर टमाटर बिखरे मिलते हैं तब भी सरकार की साख प्रभावित होती है तो जब टमाटर के भाव आसमान छूने लगते हैं तब भी सरकार की साख पर सीधा सीधा असर पड़ता है। राजनीतिज्ञ भूले नहीं होंगे प्याज के भावों में उतार-चढ़ाव का असर सरकारों के आने और जाने से जुड़ा रह चुका है। सवाल यह है कि सरकार को टमाटर या इसी तरह की जल्द खराब होने वाले उत्पादों के रखरखाव और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड स्टोरेज युक्त परिवहन वाहनों की संख्या बढ़ानी होगी। सरकार ने भले ही किसानों के उत्पादों को लाने ले जाने के लिए ट्रेन सेवा शुरु कर दी है पर अभी इस दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। देश में फूड पार्क बनाने की दिशा में तेजी लानी होगी। सबसे ज्यादा जरुरी सरकार को तत्काल बाजार हस्तक्षेप की और ध्यान देना होगा। एक विंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बाजार में मांग और उपलब्धता पर नजर रखे और समय रहते काश्तकारों के लिए जब जरुरत हो तब और आमलोगों के लिए जब जरुरत हो तब कदम उठाएं ताकि किसान, मण्डी और आमलोगों के हितों की रक्षा की जा सके। अब तो यह भी साफ हो गया है कि बाजार में कब अधिक माल आयेगा तो कब किल्लत वाल स्थिति होगी। जब सब कुछ सामने है तो दीर्घकालीन नीति बनाकर दोनों के हितों को ध्यान में रखना होगा।

# यमुना छठ पर स्नान-दान करने से यम और शनि के भय से मिलती है मुक्ति

**अनन्या मिश्रा**

इस बार यमुना छठ का पर्व 03 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन यमुना नदी के साथ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। यमुना छठ का व्रत करने से व्यक्ति को यम और शनि के भय से मुक्ति मिलती है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यमुना छठ का व्रत किया जा रहा है। इसको यमुना जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व यमुना नदी के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यमुना को एक पवित्र नदी माना जाता है। इस बार यमुना छठ का पर्व 03 अप्रैल 2025 को मनाया जा रहा है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन यमुना नदी के साथ भगवान श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। यमुना छठ का व्रत करने से व्यक्ति को यम और शनि के भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको यमुना छठ की तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरूआत 02 अप्रैल 2025 की रात 11:49 मिनट पर हुई और इसका समापन 02 अप्रैल की रात 09:41 मिनट पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के हिसाब से 03 अप्रैल 2025 को यमुना छठ का व्रत किया जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस दिन स्नान के लिए सुबह 04:38 मिनट से 05:47 मिनट तक का समय शुभ माना गया है। इसके अलावा आप विजय, अभिजीत और गोधूलि मुहूर्त में भी स्नान-दान कर सकते हैं।

**पूजा विधि:** यमुना छठ के दिन सुबह जल्दी उठकर यमुना नदी में स्नान करें और फिर भगवान श्रीकृष्ण और यमुना नदी की पूजा करते हैं। पूजा में फल, फूल और मिठाई आदि अर्पित की जाती है। इस दिन यमुना अष्टक का पाठ करें और फिर आरती करें। इस दिन दान-पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। लोग यमुना छठ का व्रत करते हैं।

**महत्व:** विशेष रूप से यमुना छठ का पर्व उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है। यह पर्व मां यमुना नदी की पूजा के लिए समर्पित है। इस पर्व को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। दरअसल, यमुना नदी का भगवान श्रीकृष्ण से गहरा संबंध है। श्रीकृष्ण ने यमुना नदी के तट पर कई लीलाएं की थीं। इसलिए इस दिन यमुना छठ के दिन भगवान श्रीकृष्ण की भी पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यमुना छठ पर यमुना नदी में स्नान करने से यम और शनि के भय से मुक्ति मिलती है। इससे आत्मा शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा एन.व्ही.आर. पब्लिकेशन हाउस S-99/33 नीलबड़ रोड भोपाल ( म.प्र. ) से मुद्रित कर, एफ- 12 द्वितीय तल गोयल निकेत एमपी नगर जोन-1 भोपाल ( म.प्र. ) से प्रकाशित
पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708 * पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। RNI No.- MPHIN/2016/68059 E-mail - peoplespravakta@gmail.com